

M-602

21/12/05

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

दिनांक 15/12/04 को प्राप्त।

दिनांक 15/12/04 को प्राप्त।

R-11758

22/12/04

REGD. NO. D.L.-33004/99



प्रभारी  
राजपत्र वितरण एकक

# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

P.O. - 350

K.M. - 30

DEPT - 100

C.P.B. - 22/12/04

सं. 552]  
No. 552]

नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 15, 2004/अग्रहायण 24, 1926

NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 15, 2004/AGRAHAYANA 24, 1926

22/12/04  
प्रभारी  
राजपत्र वितरण एकक

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 दिसम्बर, 2004

सा.का.नि. 811(अ).—विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 (1974 का 52) की धारा 8 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की दिनांक 19 दिसम्बर, 2003 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 955 (अ) का अतिक्रमण करते हुए, केन्द्रीय सरकार उन संबंधित कार्यों को छोड़कर जो ऐसे अतिक्रमण से पहले किए गए अथवा किए जाने हैं, एतद्द्वारा एक सलाहकार बोर्ड एक वर्ष के लिए गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे :—

- (i) माननीय श्री न्यायमूर्ति टी. एस. ठाकुर, अध्यक्ष।
- (ii) माननीय श्री न्यायमूर्ति ओ. पी. द्विवेदी, सदस्य।
- (iii) माननीय श्री न्यायमूर्ति प्रदीप नंदराजोग, सदस्य।

2. यह अधिसूचना 19 दिसम्बर, 2004 से प्रवृत्त होगी।

[ फा. सं. 674/1/2003-सी. शु. -VIII ]

एन. एम. कृष्णन, उप-सचिव

पाद टिप्पणी :—अधिसूचना सं. सा.का.नि. 955 (अ) दिनांक 19 दिसम्बर, 2003 द्वारा, भारत के राजपत्र (असाधारण), भाग-II, खण्ड-3, उप-खंड (i) में दिनांक 19 दिसम्बर, 2003 को प्रकाशित की गई थी।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th December, 2004

G.S.R. 811(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of Section 8 of the Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act, 1974 (52 of 1974) and in supersession of the Notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. G.S.R. 955(E) dated 19th December, 2003 except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby constitutes an Advisory Board for a period of one year, consisting of :—

- (i) Hon'ble Mr. Justice T. S. Thakur, Chairman
- (ii) Hon'ble Mr. Justice O. P. Dwivedi, Member
- (iii) Hon'ble Mr. Justice Pradeep Nandrajog, Member.

2. This Notification shall come into force with effect from 19th December, 2004.

[ F. No. 674/1/2003-Cus. -VIII ]

N. M. KRISHNAN, Dy. Secy.

Footnote :—The Notification No. G.S.R. 955(E) dated 19th December, 2003 was published in the Gazette of India (Extraordinary), Part II, Section 3, Sub-section (i) on the 19th day of December, 2003.